न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 33 / 2021

रामेश्वर लाल पुत्र श्री चन्द्राराम, जाति मेघवाल, निवासी इण्डाली, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं बमुकदमा सरकार बनाम रामेश्वर, अ0धा0 91 लैण्ड रेवन्यू एक्ट, मुकदमा नं0 1 / 2020 निर्णय दिनांक 30.12.2020

उपस्थितः—

1. श्री नेकीराम बुडानिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 04.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.12.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अनुसार पटवारी हल्का इण्डाली के अनुसार गैरसायल रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम जाति मेघवाल, निवासी इण्डाली ने राजकीय भूमि ख0न0 409 रकबा 49.68 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.01 हैक्टर भूमि पर एक दो कच्चे छप्पर करके अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल का नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। गैरसायल की ओर से जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब परिवार का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके पास किसी प्रकार का रिहायशी मकान व कृषि भूमि नही है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत इण्डाली ने मौजीज व्यक्तियो के सामने गाम इण्डाली मे खसरा नं0 409 की भूमि को आबादी विस्तार हेतु उक्त लोगो को आंवटन किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर महोदय को दिया जो आगामी कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने कार्यालय मे अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया था। ख0न0 409 मे गैरसायल 10—15 वर्षो से कच्चे छप्पर वगैरह बनाकर निवास करता आ रहा है। गैरसायल द्वारा संवत् 2076 मे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है तथा गैर सायलान के पास कोई रिहायशी मकान व कृषि भूमि नही होने के कारण नियमानुसार नियमन किया जाकर प्रार्थी को उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:32 IST
Reason: SelfAttested

भूमि का आवासीय पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया है वकील गैरसायल ने अपना कब्जा पुराना होने से संबंधित कोई ठोस सबूत व दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह जाहिर होता हो कि गैरसायल का कब्जा बहुत पुराना है ऐसी स्थिति मे गैरसायल का उक्त कब्जे का नियमन किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। जिससे यह स्पष्ट जाहिर है कि गैरसायल ने राजकीय भूमि ख0न0 409 रकबा 9.68 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.01 हैक्टर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। अतः गैरसायल को उक्त रकबे पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैरसायल को ग्राम इण्डाली की राजकीय भूमि खसरा नं0 409 रकबा 9.68 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.01 हैक्टर पर से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है तथा अतिक्रमी को आर्थिक दण्डस्वरूप शरह लगान का 50 गुणा बतौर शास्ति रूपये 10 कायम किये जाते है। उक्त निर्णय के विरूद्व अपील निम्न प्रकार पेश है कि निर्णय अदालत मातहत विरूद्व कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने गैरसायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर बारीकी से गौर नही किया है। अदालत मातहत ने गैरसायल अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है। अपीलान्ट गैरसायल का उक्त भूमि पर काफी वर्षो से परिवार सहित आबाद है। काफी वर्षो से विघुत तथा जल कनेक्शन ले रखा है। गैरसायल का कब्जा बुहत पुराना है। गैरसायल का प्रकरण नियमन योग्य था। ख0न0 409 मे काफी वर्षो से ग्राम इण्डाली के करीबन 40–50 रूपये की बस्ती है तथा सभी लोगों ने विघुत विभाग से अपने अपने आवास पर विघुत कनेक्शन व पानी कनेक्शन ले रखे है। आबादी काफी वर्षो से बनी हुई है तथा बाद जांच नही कर मात्र अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके पास आबादी हेतु कोई जगह नही है ना ही प्रार्थी के पास कोई कृषि भूमि है। राजनैतिक द्वेषतावंश मात्र प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण शुरू किया गया। उक्त तथ्यों बाबत कोई जांच अदालत मातहत द्वारा नही की गई तथा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी आवासीय पट्टे बाबत कोई जानकारी प्राप्त की गई। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती कर कथन किया कि अदालत मातहत ने गैरसायल अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है। अपीलान्ट गैरसायल का उक्त भूमि पर काफी वर्षो से परिवार सहित आबाद है। काफी वर्षो से विघुत तथा जल कनेक्शन ले रखा है। गैरसायल का कब्जा बहुत पुराना है। प्रार्थी को सरपंच द्वारा उक्त भूमि का पट्टा रहवास हेतु दिया हुआ है। प्रार्थी अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसके पास आबादी हेतु कोई जगह नही है। अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:32 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की किस्म गै0मुमकीन चारागाह है एवं उक्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

A 4/3

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम इण्डाली स्थित भूमि खसरा नम्बर 409 कुल रकबा 49.68 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन चारागाह मे से 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट विवादित भूमि के क्रम मे अपना हक सिद्व नही कर पाया। राजकीय भूमि पर निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से किये गये अतिक्रमण को वैध नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फॉर्स नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:40:32 IST
Reason: SelfAttested